रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73

REGISTERED NO. D. (D) 73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 3, 1978/ज्येष्ठ 13, 1900

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3, 1978/JYAISTHA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 मई, 1978

सा०का०नि० 695.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में लेखाकार और पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (लेखाकार और पुस्तकालय अध्यक्ष) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के मामले में शिथिल की जा सकती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 मई, 1978

सा० का० नि० 703.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बी०सी०जी० वैक्सिन प्रयोगशाला, गुइण्डी, मद्रास में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बी०सी०जी० वैक्सिन प्रयोगशाला, गुइण्डी, मद्रास (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, उक्त पदों में से किसी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और ऐसे विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रशीतन इंजीनियर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी : आयु सीमा विनिश्चित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक :— (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य। (2) चिकित्सा प्रयोगशाला उपस्कर और प्रशीतन संयंत्रों के रखरखाव और हस्तन में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं, विशेषरूप से अनुभव सम्बन्धी अर्हता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए, शिथिल की जा सकती है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति समूह 'ख' के निम्नलिखित सदस्य होंगे : (1) उपमहानिदेशक (योजना)—अध्यक्ष (2) निदेशक, प्रशासन एवं सतर्कता—सदस्य (3) क्षयरोग सलाहकार—सदस्य (4) उपनिदेशक (प्रशासन सं० एवं प०)—सदस्य सचिव (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को स्थायी बनाने के लिए)।	चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायगा।

1	2	3	4	5	6	7
2. पशुचिकित्सक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी : आयु सीमा विनिश्चित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान उपाधि या समतुल्य। (2) वैज्ञानिक प्रजनन और प्रयोगशाला के पशुओं के रख-रखाव तथा देखभाल का 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक अनुसार शिथिल की जा सकती है, विशेष रूप से अनुभव सम्बधी अर्हता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उनके लिए आरक्षित पदों के लिए, शिथिल की जा सकती है)। वांछनीय : पशु प्रजनन के अनुसंधान पशुओं की क्षमता के परीक्षण और वैक्सिन और सैरा के परीक्षण का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगें (1) उपमहानिदेशक (योजना)—अध्यक्ष (2) निदेशक, प्रशासन एवं सतर्कता—सदस्य (3) क्षयरोग सलाहकार —सदस्य (4) उपनिदेशक (प्रशासन (सं० एवं० प०)—सदस्य सचिव (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को स्थायी बनाने के लिए)	चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

[सं० ए० 12018/1/77-पी एच]

(श्रीमती) आशा शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 23rd May, 1978

G.S.R. 703.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the BGG Vaccine Laboratory Guindy, Madras (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the pesonal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in the rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे (1) उपमहानिदेशक (योजना)—अध्यक्ष (2) निदेशक, प्रशासन एवं सतर्कता—सदस्य (3) क्षयरोग सलाहकार—सदस्य (4) उपनिदेशक (प्रशासन (सं० एवं प०)—सदस्य सचिव (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को स्थायी बनाने के लिए)	चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[सं० ए० 12018/1/77-पी एच]

(श्रीमती) आशा शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 23rd May, 1978

G.S.R. 703.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the BCG Vaccine Laboratory Guindy, Madras (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the pesonal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in the rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1	2	3	4	5	6	7
2. Veterinarian	1	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministrial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not Applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. servants) Note : The crucial date for dermining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree in Veterinary Science from a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' practical experience in Scientific breeding, maintenance and care of laboratory animals. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well-qualified ; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable : Experience of research in animal breeding, testing of animals for potency and testing of vaccines and sera.

8	9	10	11	12	13
Not Applicable	2 years	By direct recruitment	Not Applicable	-as above-	-as above-

[No. A. 12018/1/77-PH]

(Smt.) ASHA SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 1978

सा०का०नि० 704.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) में सहायक निदेशक (भेषजिकीय/पशु चिकित्सक) के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) भर्ती नियम, 1978 है।

(2.) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हता .—कोई व्यक्ति :—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका की पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति:—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यावस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।